

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 फरवरी 2010—माघ 28, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कार्यालय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोती महल, ग्वालियर

अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंसों का टेण्डर द्वारा निष्पादन तथा  
अन्य जिलों में पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के लायसेंसों के निष्पादन सम्बन्धी व्यवस्था—वर्ष 2010-11

ग्वालियर, दिनांक 17 फरवरी 2010

क्र. 6 (स) पॉपी-लाय.-2010-11-232.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रेताओं की विशेष जानकारी के लिये, राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2010-11 अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2010 से दिनांक 31 मार्च 2011 तक की अवधि के लिए, मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन एवं राजगढ़ (ब्यावरा) में पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-2 तथा पी.एस.-3) लायसेंसों का निराकरण, दिनांक 6 मार्च, 2010, दिन शनिवार को परिशिष्ट क्रमांक-एक में दर्शाये गये स्थानों पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा पृथक्-पृथक् लायसेंसवार अथवा तहसीलवार अथवा सम्पूर्ण जिले के पी.एस.-2 तथा पी.एस.-3 लायसेंसों के समूहों पर, टेण्डर आमंत्रित किये जाकर किया जायेगा. राजस्व हित के परिप्रेक्ष्य में, आवश्यकतानुसार पूरे जिले के पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंसों के समूह पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश की पूर्व स्वीकृति से टेण्डर प्राप्त किये जायेंगे. जो व्यक्ति टेण्डर की कार्यवाही में भाग लेना चाहें, वे परिशिष्ट-एक में दर्शाये गये टेण्डर निष्पादन हेतु नियत स्थान/स्थल पर उपस्थित होकर, नियत तिथि एवं समय तक, नियमानुसार क्रय किये गये प्रपत्र में टेण्डर प्रस्तुत कर सकते हैं. संबंधित नियमों, विक्रय ज्ञापन, निष्पादित किये जाने वाले पॉपीस्ट्रा (डोडाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंसों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, लायसेंसवार/समूहवार विगत तीन वर्षों में कृषकों से क्रय किये गये पॉपीस्ट्रा की मात्रा, परिवहन, निर्यात, ड्यूटी की दर आदि की जानकारी, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है. पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-3) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही, यदि किसी कारण-वश उपरोक्त घोषित दिनांक को पूरी नहीं हुई तो, यह कार्यवाही संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार, अन्य घोषित किसी भी दिन व समय पर की जा सकेगी.

नोट :—टेण्डर द्वारा निष्पादन से तात्पर्य केवल अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के (पी.एस.-2) एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-3) लायसेंसों के, घोषित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध, केवल टेण्डर द्वारा ऑफर प्राप्त कर, लायसेंसों के निराकरण की प्रक्रिया से है.

### टेण्डर द्वारा निष्पादन की मुख्य शर्तें/निर्बन्धन

1. व्यक्ति जो टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने से वर्जित होंगे.—टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में केवल ऐसे व्यक्ति ही टेण्डर प्रस्तुत कर सकेंगे, जो पॉपीस्ट्रा लायसेंस प्राप्त करने की योग्यता रखते हों, निम्नांकित व्यक्ति टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में टेण्डर देने के लिये अयोग्य रहेंगे :—

- 1.1 कोई भी व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का हो.
- 1.2 कोई भी व्यक्ति जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से शासन की आबकारी, राजस्व की राशि, पॉपीस्ट्रा राजस्व की राशि तथा / अथवा मनोरंजन शुल्क की किसी प्रकार की राशि का बकायादार हो. वर्ष 2009-2010 की अवधि का पॉपीस्ट्रा का अनुज्ञप्तिधारी, जिसके द्वारा उसके लायसेंस की वर्ष 2009-10 की देय सम्पूर्ण लायसेंस फीस न पटाई गई हो;
- 1.3 कोई भी व्यक्ति, जो पहले पॉपीस्ट्रा का लायसेंसी रहा हो, और लायसेंसी की हैसियत से उसका आचरण, निष्पादन करने वाले अधिकारी के मत में संतोषजनक न रहा हो.
- 1.4 कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम विभाग की काली सूची में हो.
- 1.5 कोई भी व्यक्ति, जिसके बारे में निष्पादनकर्ता अधिकारी को यह विश्वास हो कि वह बुरे आचरण वाला है.
- 1.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 का क्रमांक 2) या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इंडियन मर्केन्डाइज मार्कर्स अधिनियम, 1889 (1889 का क्रमांक 4) या इस अधिनियम की धारा 3 द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (1860 का क्रमांक 45) में पुनः स्थापित की गई धाराओं 478 से 489 के अधीन या मेडिसिनल एण्ड टॉयलेट प्रिपेरेशन (एक्सआईज ड्यूटी) अधिनियम, 1955 अथवा नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 तथा / अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो.

**टिप्पणी.**—1. बकाया की राशि की पूर्ण अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.2 में उल्लिखित शर्त निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी.

2. काली सूची में से नाम विलोपित किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कंडिका 1.4 की शर्त निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा शिथिल की जा सकेगी.

2. सहमति करार-पत्र प्रस्तुत करना.— प्रत्येक टेण्डरदाता को निम्नलिखित प्रारूप में सहमति करार-पत्र पर इस आशय की सहमति के हस्ताक्षर करना होंगे कि वह पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया में, टेण्डर की शर्तों और निर्बन्धनों को स्वेच्छा से स्वीकार करता है. तदनुसार राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा का नाम एवं स्थान, उसमें संधारित बचत बैंक खाते का क्रमांक, स्वयं का पता तथा स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN) की जानकारी अंकित कर, संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक / सम्बंधित आयकर अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटो सहित, प्रमाण स्वरूप टेण्डर भाग-1 के साथ सहमति करार में हस्ताक्षर कर, संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करेगा.

पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-2 / पी.एस.-3) लायसेंसों के टेण्डर द्वारा निष्पादन में टेण्डर की शर्तों को, टेण्डर देने के पूर्व मान्य करने का सहमति करार

संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अथवा किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबन्धक/संबंधित आयकर अधिकारी के द्वारा प्रमाणित छायाप्रति एवं प्रमाणित हस्ताक्षर

मैं, ..... (टेण्डरदाता का नाम)

पिता/पति श्री .....

निवासी .....

धन्धे का स्थान ..... आयु ..... (वर्ष)

शपथपूर्वक घोषित करता/करती हूँ कि—

1. मेरे राष्ट्रीयकृत / अधिसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के खाते का क्रमांक ..... व बैंक का नाम तथा पता ..... है.
2. टेण्डरदाता का स्वयं का/फर्म/कम्पनी अथवा उसके किसी भागीदार/भागीदारों / डायरेक्टर / डायरेक्टरों का स्थायी आयकर लेखा क्रमांक(PAN) ..... है.
3. मैंने पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के वर्ष 2010-11 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तें पढ़-सुन तथा जान ली हैं तथा अन्यथा समझ ली हैं और मैं टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों एवं निर्बन्धनों को स्वेच्छा से प्रतिग्रहीत करता/करती हूँ.
4. मैंने जमा की गई अर्नेस्टमनी का पूर्ण विवरण संलग्न प्रस्तुत कर दिया है.
5. मैं टेण्डर में अंकित अपने ऑफर से विचलित होने की दशा में, अपने द्वारा निक्षेप की गई अर्नेस्टमनी, अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि के समर्पण के लिए करार करता / करती हूँ तथा स्वयं को आबद्ध करता / करती हूँ कि पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही किए जाने की स्थिति में, शासन को खिसारे के रूप में हुई हानि की प्रतिपूर्ति की राशि, मुझसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

टीप.—(1) पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के प्रत्येक लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा अपना बैंक खाता क्रमांक एवं स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN), उसके द्वारा प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में अंकित करना एवं उपरोक्त सहमति करार-पत्र भरकर, हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

(2) टेण्डरदाता यदि पंजीकृत फर्म / कंपनी है तो, उसके कार्यकारी भागीदार / मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत डायरेक्टर को उपरोक्तानुसार सहमति करार-पत्र की पूर्ति कर हस्ताक्षर करना होंगे.

श्री/श्रीमती ..... को उपरोक्त उल्लेखित पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस / लायसेंसों के समूहों के टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु, उनके द्वारा प्रस्तुत एवं हस्ताक्षरित उक्त सहमति करार के आधार पर, सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है / अनुमति दी गई है.

दिनांक सहित हस्ताक्षर

कलेक्टर. ....

जिला .....

3. नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाना.—पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के प्रत्येक लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डरदाता (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) द्वारा निम्नांकित प्रारूप में नोटराइज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा.

#### शपथ-पत्र

मैं, स्वयं (नाम) .....

(पिता/पति का नाम) .....

निवासी (पता) .....

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता / करती हूँ कि :—

- (1) मैं स्वयं अथवा (फर्म / कम्पनी की स्थिति में फर्म/कम्पनी का नाम) ..... की ओर से अधिकार-पत्र प्रहीता हूँ.
- (2) मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की दशा में सभी भागीदार / संचालक, पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/ लायसेंसों के समूह के वर्ष 2010-11 के लिये उल्लेखित टेण्डर की कार्यलाही में, टेण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूँ.
- (3) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं. उसमें दी गई जानकारी सत्य एवं पूर्ण है.
- (4) मैंने टेण्डर प्रक्रिया द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के निष्पादन हेतु निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि, कुल रुपये ..... निम्न विवरण अनुसार जमा करा दी गई है :—
 

(i) नगद राशि	रुपये .....
(ii) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बैंक कैश आर्डर	रुपये .....

योग .. रुपये .....

- (5) मैंने, बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है.
- (6) मैं, टेण्डर में अंकित ऑफर स्वीकृत होने की दशा में, देय अग्रिम धन 1/4 भाग राशि, प्रतिभूति 1/12 भाग राशि, अतिरिक्त प्रतिभूति के पोस्टडेटेड चैक्स तथा लायसेंस फीस की राशि, निर्दिष्ट समय में जमा करने के लिए आबद्ध रहूंगा.
- (7) पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/ लायसेंसों के समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन के लिए, मेरे द्वारा निष्पादनकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत सहमति करार-पत्र में एवं टेण्डर प्रपत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण, सत्य एवं पूर्ण हैं. उक्त उल्लेखित किसी तथ्य / विवरण / बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर, निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर को टेण्डर में अंकित ऑफर को तथा लायसेंस को निरस्त करने तथा मेरे द्वारा जमा करायी गयी अर्नेस्टमनी/ अग्रिम धन/प्रतिभूति की राशि को राजसात करने का अधिकार होगा तथा इसके संबंध में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी.

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक ..... / ..... / 2010

नोट:—यदि एक टेण्डरदाता किसी जिले के एक से अधिक पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिये टेण्डर देता है तथा सभी के लिये एक ही नोटराइज्ड शपथ-पत्र देना चाहता है तो उसे कुल लायसेंस/लायसेंसों के समूह का नाम तथा उनकी कुल अर्नेस्टमनी जमा करने का विवरण, नोटराइज्ड शपथ-पत्र में देना होगा. शपथ-पत्र में यह भी लिखना होगा कि मूल शपथ-पत्र, किस लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डर के साथ संलग्न किया जा रहा है. इस शपथ-पत्र की सत्यापित प्रति, टेण्डरदाता अन्य प्रत्येक लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डर के साथ संलग्न करेगा.

### सत्यापन लेख

मैं, (नाम) .....

(पिता / पति का नाम) श्री .....

शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र के चरण (1) से चरण (7) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है. इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है.

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

दिनांक .....

4. टेण्डरदाता की व्यक्तिगत पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में.— टेण्डर की प्रक्रिया द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के निष्पादन हेतु इच्छुक टेण्डरदाता को, उसकी व्यक्तिगत पहचान एवं उसके निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबंध में, निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत करना होंगे.

4.1 व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :—

1. वैध पासपोर्ट.
2. वैध स्थायी आयकर लेखा क्रमांक (PAN).
3. निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत वैध मतदाता पहचान-पत्र (EPIC CARD).
4. वैध ड्रायविंग लायसेंस.
5. फोटोयुक्त बैंक लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति.

4.2 निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न दस्तावेज मान्य होंगे :—

1. अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाइल फोन बिल.
2. अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल.
3. अधिकतम तीन माह पुरानी एलपीजी गैस कनेक्शन रसीद.
4. अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल.
5. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो क्रेडिट कार्ड.
6. स्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण-पत्र.
7. बैंक लेखा पुस्तिका की मूल/प्रमाणित प्रति.

5 यदि कोई टेण्डरदाता किसी पंजीकृत फर्म या कम्पनी की ओर से टेण्डर देना चाहता है तो टेण्डर देने के पूर्व उसे निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे:—

- (i) संबंधित फर्म / कम्पनी का पंजीयन प्रमाण-पत्र / निगमन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी विधिवत् अभिप्रमाणित प्रतिलिपि.
- (ii) फर्म की पार्टनरशिप डीड / कम्पनी के मेमोरेण्डम एवं आर्टीकल्स ऑफ एसोसिएशन की मूल या प्रमाणित प्रतिलिपि.
- (iii) फर्म की दशा में रजिस्ट्रार फर्म एण्ड सोसायटी द्वारा जारी फर्म के रजिस्टर की नकल (एब्सट्रैक्ट) तथा कम्पनी की दशा में संचालक मण्डल की रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा प्रमाणित सूची.
- (iv) टेण्डरदाता के पक्ष में संबंधित फर्म / कम्पनी की ओर से टेण्डर द्वारा निष्पादन में भाग लेने हेतु निष्पादित / जारी अधिकार-पत्र की मूल अथवा अभिप्रमाणित प्रति.

### 6. आरक्षित मूल्य :—

- 6.1 वर्ष 2010-11 के लिए अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम एवं शाजापुर में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-2/पी.एस.-3) लायसेंसों का आरक्षित मूल्य वर्ष 2009-10 की वार्षिक लायसेंस फीस के समतुल्य घोषित किया जायेगा.
- 6.2 वर्ष 2010-11 के लिए अफीम उत्पादक जिला उज्जैन में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-2/पी.एस.-3) लायसेंसों का आरक्षित मूल्य वर्ष 2008-09 की वार्षिक लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत वृद्धि कर घोषित किया जायेगा.
- 6.3 वर्ष 2010-11 के लिए अफीम उत्पादक जिला राजगढ़ (ब्यावरा) जिले में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के (पी.एस.-2/पी.एस.-3) लायसेंसों का आरक्षित मूल्य पूर्ववर्ती वर्ष 2000-01 में प्राप्त उच्चतम बोली में 10 प्रतिशत वृद्धि कर घोषित किया जायेगा.

7. अर्नेस्टमनी जमा करना.—प्रत्येक टेण्डरदाता को टेण्डर देने के पूर्व संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस / लायसेंसों के समूह के लिए वर्ष 2010-11 के लिये घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत / अधिसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के केश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी. प्राप्त अर्नेस्टमनी की विधिवत् पुष्टि / संतुष्टि कलेक्टर द्वारा कर लेने के उपरांत ही टेण्डर मान्य किया जायेगा. सफल टेण्डरदाता द्वारा अर्नेस्टमनी की जमा की गई राशि, निम्नलिखित शर्त क्रमांक 09 में उल्लेखित अग्रिम धन/प्रतिभूति राशि के विरुद्ध वांछित सीमा तक समायोजित की जावेगी तथा/ अथवा अवशेष राशि वापिस की जावेगी.

असफल टेण्डरदाता को जमा की गई अर्नेस्टमनी की पूरी राशि वापिस की जायेगी. इसे वापिस प्राप्त करने के लिए, टेण्डरदाता को रेवेन्यू स्टाम्प लगाकर पावती देना होगी.

8. टेण्डर द्वारा निष्पादन की प्रक्रिया.—वर्ष 2009-10 के लिये पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:—

8.1 मध्यप्रदेश के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन एवं राजगढ़ (ब्यावरा) में पॉपीस्ट्रा (डोड़ाचूरा) के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के निराकरण हेतु, क्रमांकित टेण्डर प्रपत्र संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से कण्डिका क्रमांक 27.1 में उल्लेखित दिनांक एवं समय में क्रय किये जा सकेंगे. टेण्डर प्रपत्र का मूल्य रुपये 5000/- रहेगा. टेण्डर प्रपत्र के मूल्य की राशि एम.पी.टी.सी.-6 रसीद द्वारा ली जायेगी. यही एम.पी.टी.सी.-6 रसीद, टेण्डर निष्पादन स्थल पर, उपस्थित रहने के लिए, टेण्डरदाता के प्रवेश-पत्र के रूप में मान्य की जायेगी.

8.2 विभाग द्वारा निर्गत टेण्डर प्रपत्र ही स्वीकार किये जायेंगे.

8.3 पॉपीस्ट्रा के जिन थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का निष्पादन टेण्डर द्वारा किया जाना है, उनकी सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, लायसेंसवार/समूहवार विगत तीन वर्षों में कृषकों से क्रय किये गये पॉपीस्ट्री की मात्रा, उसके परिवहन, निर्यात, परिवहन फीस, निर्यात फीस एवं ड्यूटी की दर आदि की जानकारी (सेल पेपर) संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से इच्छुक टेण्डरदाता को उपलब्ध कराई जायेगी.

8.4 टेण्डर निर्धारित प्रपत्र में दो भागों में प्रस्तुत किया जायेगा. भाग-एक में टेण्डरदाता घोषित आरक्षित मूल्य के 15 प्रतिशत के बराबर अर्नेस्टमनी जमा करने का प्रमाण, सहमति करार, नोटराइज्ड शपथ-पत्र एवं आवश्यक अन्य अभिलेख भरकर, एक लिफाफे में बंद कर रखेगा. टेण्डरदाता पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के स्थल का स्पष्ट नाम लिखते हुए अपना ऑफर शब्दों तथा अंकों में टेण्डर प्रपत्र के भाग-दो में प्रस्तुत करेगा जिसे वह पृथक् लिफाफे में रखकर बंद करेगा. टेण्डर प्रपत्र के भाग-एक व भाग-दो के दोनों लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में इस तरह विपकाकर बंद करेगा कि उसे फाड़े बिना, अन्दर रखे लिफाफे को खोला न जा सके.

8.5 विधिवत एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सीलड टेण्डर संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में कण्डिका क्रमांक 27.2 में उल्लेखित तिथियों में जमा किये जा सकेंगे.

8.6 विधिवत एवं पूर्ण रूप से भरे हुए, सीलड टेण्डर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में तथा उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के कार्यालय में भी, कण्डिका क्रमांक 27.2 में उल्लेखित तिथियों में जमा किये जा सकेंगे. जहां से इन्हें संबंधित जिला आबकारी कार्यालय में आगामी कार्यवाही हेतु यथास्थिति (सीलड) भेज दिया जायेगा.

8.7 दिनांक 6 मार्च, 2010 दिन शनिवार को परिशिष्ट-एक में अधिसूचित स्थान व कण्डिका क्रमांक 27.3 में उल्लेखित समय पर, सर्वप्रथम टेण्डरदाता द्वारा प्रस्तुत टेण्डर का भाग-एक खोला जाकर, टेण्डरदाता के टेण्डर में भाग लेने की पात्रता की जांच की जाएगी. टेण्डर प्रपत्र भाग-एक के अभिलेखों में अर्नेस्टमनी के विधिवत् जमा पाये जाने पर, अन्य अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य त्रुटियों के आधार पर टेण्डर प्रपत्र भाग-दो में प्राप्त ऑफर (फाईनेन्शियल बिड) को अमान्य नहीं किया जावेगा. इस प्रकार की त्रुटियों का सुधार संबंधित जिला कलेक्टर मौके पर ही करवा सकेंगे. लिपिकीय त्रुटि अथवा सामान्य प्रकार की त्रुटि के संबंध में शंका-समाधान के लिए, आबकारी आयुक्त से कलेक्टर निर्देश प्राप्त कर सकेंगे. इस संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम माना जावेगा.

8.8 टेण्डरदाता अगर चाहे तो विभाग के पास टेण्डर की शर्तों के अनुरूप पात्रता संबंधी अभिलेख पहले ही जमा करा सकता है. ऐसी स्थिति में टेण्डरदाता, टेण्डर प्रपत्र का भाग-एक प्रस्तुत नहीं करेगा. पॉपीस्ट्रा के थोक/फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिये, प्रस्तुत अन्य टेण्डरों का भाग-एक खोलने के पूर्व, ऐसे टेण्डरदाताओं की पात्रता के बारे में, निष्पादनकर्ता अधिकारी, कलेक्टर द्वारा निष्पादन स्थल पर घोषणा की जावेगी.

8.9 जांच में समस्त अभिलेख पूर्ण होने एवं समाधानकारक पाए जाने पर ही, टेण्डर के भाग-दो (फायनेन्शियल बिड) को खोला जाएगा. अगर टेण्डरदाता की किसी भी त्रुटि के कारण टेण्डर प्रपत्र का भाग-दो खोलने से, उसका ऑफर (फायनेन्शियल बिड) प्रकट हो जाता है तथा टेण्डर प्रपत्र के भाग-एक अनुसार, टेण्डरदाता अपात्र नहीं है तो ही उसका ऑफर विचारणीय होगा अन्यथा नहीं.

8.10 टेण्डर के माध्यम से प्राप्त उच्चतम ऑफर, यदि जिले के तुलनात्मक राजस्व में अधिकतम वृद्धि की दृष्टि से पापीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के निर्धारित आरक्षित मूल्य के बराबर या उससे अधिक राशि का होने पर, उसे जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा.

8.11 टेण्डर जमा करते समय अथवा टेण्डर खोलने के दौरान टेण्डरदाता की अनुपस्थिति निष्पादन की कार्यवाही में बाधक नहीं होगी.

8.12 टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् किसी भी टेण्डरदाता अथवा अन्य व्यक्ति का कोई भी मौखिक अथवा लिखित प्रस्ताव, सशर्त अथवा बिना शर्त न तो अभिलेखों में लिया जावेगा और न ही उस पर कोई विचार किया जावेगा.

#### 9. अग्रिम धन/प्रतिभूति/अतिरिक्त प्रतिभूति/वार्षिक लायसेंस फीस जमा करना.—

9.1 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के वर्ष 2010-11 के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर (टेण्डर राशि) का 1/4 भाग अग्रिम धन जमा करना होगा. जमा की जाने वाली इस राशि के विरुद्ध टेण्डरदाता के द्वारा टेण्डर देने के पूर्व जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि अथवा जितनी आवश्यक है, उस सीमा तक समायोजित की जा सकेगी. शेष अग्रिम धन की राशि नगद अथवा सम्बन्धित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में भुगतान योग्य किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के केश आर्डर के रूप में टेण्डर द्वारा निष्पादन के पश्चात् तुरन्त जमा करना होगा.

9.2 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के वर्ष 2010-11 के सफल टेण्डरदाता के अनुरोध पर, कलेक्टर सफल टेण्डरदाता को, अग्रिम धनराशि का शेष भाग जमा करने के लिए तीन दिवस का समय दे सकेंगे. तीन दिन की गणना करने में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे.

9.3 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को टेण्डर में अंकित अपने उच्चतम ऑफर की 1/12 भाग की प्रतिभूति राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा द्वारा जारी बैंक गारंटी अथवा स्थानीय शाखा पर देय एवं भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के केश आर्डर के रूप में टेण्डर द्वारा निष्पादन के 3 दिन के भीतर जमा करनी होगी। तीन दिन की गणना करने में टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे।

9.4 अगर सफल टेण्डरदाता मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की बैंक गारंटी प्रस्तुत करता है, तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले अथवा उस जिले के संभागीय मुख्यालय पर स्थित, उसी बैंक की शाखा द्वारा सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराकर प्रस्तुत करना होगी।

9.5 वर्ष 2010-11 के लिए प्रस्तुत की जाने वाली, वांछित प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर, रुपये 250/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी।

9.6 सफल टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का पालन न करने, 1/4 अग्रिम धनराशि या 1/12 भाग प्रतिभूति राशि जमा करने में विलंब के कारण यदि उसे लायसेंस विलंब से प्राप्त होता है तो उसे इस अवधि की लायसेंस फीस में किसी तरह की छूट की पात्रता नहीं होगी। अग्रिम धन एवं प्रतिभूति की राशि जमा न करने की दशा में सफल टेण्डरदाता द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात की जा सकेगी और उसके उत्तरदायित्व पर लायसेंसों का टेण्डर द्वारा पुनः निष्पादन किया जायेगा। इस पुनः निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।

9.7 सफल टेण्डरदाता को उपरोक्त के अतिरिक्त, लायसेंस फीस की मासिक अंशिका के किसी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के, अपने बचत बैंक खाते के माह मई 2010 से दिसम्बर 2010 तक की पहली तारीख को देय आठ (08) पोस्टडेटेड चैक्स भी लाइसेंस जारी करने के पूर्व अनिवार्य रूप से संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी कर प्रस्तुत करना होंगे। इन पोस्टडेटेड चैक्स का उपयोग लाइसेंसी द्वारा निर्धारित लायसेंस फीस समय पर जमा न करने की स्थिति में देय/अवशेष लायसेंस फीस की वसूली के विरुद्ध किया जायेगा। यदि संबंधित लायसेंसी द्वारा वर्ष में देय सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस चुका दी जाती है तो, उपरोक्त पोस्टडेटेड चैकों को मूलतः लायसेंसी को, प्राप्ति रसीद लेकर वापस कर दिया जायेगा।

9.8 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह की पृथक्-पृथक् देय वार्षिक लायसेंस फीस की मासिक अंशिका, जिला कोषालय अथवा सम्बन्धित उप कोषालय में प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व अग्रिम जमा करना होगी। यदि वार्षिक लायसेंस फीस 12 से पूर्ण विभाजित न हो तो, भागफल की अवशेष राशि माह अप्रैल, 2010 की लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी।

9.9 यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लायसेंसी द्वारा देय मासिक लायसेंस फीस उपरोक्त शर्त 9.8 के अनुसार माह के प्रथम कार्य दिवस को अथवा उसके पूर्व जमा नहीं की जाती है, तो कलेक्टर द्वारा उस पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय लायसेंस/लायसेंसों के समूह को पॉपीस्ट्रा का क्रय/विक्रय निषेधित किया जा सकेगा। सम्बन्धित माह की देय लायसेंस फीस, उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस तक अवशेष रहने की दशा में, ऐसे पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का लायसेंस निरस्त कर, पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने की कार्यवाही संबंधित लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर की जायेगी। इस पुनः निष्पादन के फलस्वरूप शासन को खिसारे के रूप में हुई समस्त हानि की वसूली, संबंधित लायसेंसी से भू-राजस्व की बकाया की भांति की जायेगी।

9.10 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिये जमा 1/4 भाग अग्रिम की राशि माह जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2011 की देय लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित की जावेगी।

9.11 प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई, 1/12 भाग की बैंक गारंटी की वैधता अवधि दिनांक 30-6-2011 तक की होगी। इससे अल्प अवधि अथवा आंशिक वैधता अवधि की बैंक गारंटी स्वीकार्य नहीं होगी।

9.12 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूहों के लिए, प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी को लायसेंस शर्तों के उल्लंघन आदि के विरुद्ध जमानत के रूप में रखा जावेगा। दिनांक 30 जून 2011 तक अथवा इसके



पूर्व 1/12 भाग की राशि/बैंक गारंटी कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत, यदि शर्तों आदि के उल्लंघन की स्थिति में कोई शास्ति/संधान राशि अधिरोपित की गयी हो तो, ऐसी राशि अथवा अन्य बकाया राशि की वसूली / समायोजन के उपरान्त, वापिस की जा सकेगी.

9.13 वर्ष 2010-11 के पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लायसेंसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति के पूर्व जब भी, अग्रिम जमा की 1/4 भाग तथा प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि को कम कर, शेष संपूर्ण देय वार्षिक लायसेंस फीस तथा अन्य कोई देय राशि जमा कर दी जाती है तथा लायसेंसी जमा प्रतिभूति की राशि का, शेष रही लायसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन चाहता है तो, कलेक्टर द्वारा ऐसे समायोजन की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी. इस हेतु लायसेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के लिए अधिरोपित की जाने वाली शास्ति/संधान राशि आदि की वसूली के लिए रुपये एक करोड़ तक मूल्य के पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिए रुपये एक लाख तथा रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूहों के लिए रुपये दो लाख की राशि नगद अथवा संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, भुगतान योग्य किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंस आर्डर के रूप में अथवा बैंक गारन्टी के रूप में प्रस्तुत / जमा करना अनिवार्य होगी. प्रतिभूति की राशि शासकीय कोष में जमा होने के पश्चात् ही, सम्पूर्ण लायसेंस फीस जमा होना मान्य किया जावेगा. कलेक्टर को अगर औचित्यपूर्ण ढंग से विचार कर यह विश्वास होता है कि रुपये एक लाख अथवा रुपये दो लाख की राशि, लायसेंस शर्तों आदि के उल्लंघन के विरुद्ध अधिरोपित की जाने वाली शास्ति/संधान राशि की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह अपने विवेक से अधिक एवं युक्तियुक्त राशि की मांग लायसेंसी से कर, जमा प्रतिभूति की 1/12 भाग की राशि के समायोजन की अनुमति प्रदान करेंगे.

9.14 पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिए प्रत्येक सफल टेण्डरदाता को 1 अप्रैल, 2010 या उसके पूर्व माह अप्रैल 2010 की लायसेंस फीस की मासिक किश्त जमा करना अनिवार्य होगा. उक्त मासिक किश्त जमा होने पर ही उसे लायसेंस एवं आवश्यक परमिट दिए जायेंगे.

9.15 अतिरिक्त प्रतिभूति के पोस्टडेटेड चैक्स को छोड़कर, टेण्डरदाता द्वारा जमा की जाने वाली अन्य कोई भी राशि चैक द्वारा नहीं ली जावेगी.

नोट.— 1. सफल टेण्डरदाता का आशय ऐसे टेण्डरदाता से है, जिसका टेण्डर में अंकित ऑफर सर्वाधिक राशि का हो एवं स्वीकार किया गया हो.

2. अर्नेस्टमनी/अग्रिम धन/प्रतिभूति के रूप में किसी भी प्रकार की जमा राशि के वैध होने का उत्तरदायित्व टेण्डरदाता का होगा.

10. टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में न दिये गये टेण्डर स्वीकार न करना.—वर्ष 2010-11 के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का टेण्डर, जिसने टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय अथवा पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन यदि हुआ हो तो, पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन के समय, टेण्डर न दिया हो, विचार योग्य नहीं होगा.

11. प्रतिरूप करार प्रस्तुत किया जाना.—वर्ष 2010-11 के लिए टेण्डर द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का निष्पादन अन्तिम होने के पश्चात् संबंधित टेण्डरदाता को समस्त वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति के साथ ही, निर्धारित प्रारूप में प्रतिरूप करार भी निष्पादित करना होगा. प्रतिरूप करार के निष्पादन के उपरान्त ही उसे संबंधित पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस /लायसेंसों के समूह का लायसेंस जारी किया जायेगा.

12. निष्पादन अवधि में पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करना.—वर्ष 2010-11 के लिए अथवा वर्ष 2010-11 के मध्य में पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने की स्थिति उत्पन्न होने पर, लायसेंसी को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् कलेक्टर द्वारा कभी भी पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन किया जा सकेगा. इस हेतु सूचना-पत्र पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन के प्रस्तावित दिनांक से, कम से कम पांच दिन पूर्व जारी करना होगा. सूचना-पत्र का प्रदर्शन संबंधित जिला कलेक्टर तथा सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा तथा समाचार-पत्र में भी इसे यथासंभव प्रकाशित कराया जाएगा.

13. वर्ष 2010-11 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण करना.—वर्ष 2010-11 के लिए टेण्डर द्वारा निष्पादन किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का टेण्डर, अन्तिम होने के पश्चात् यदि संबंधित टेण्डरदाता द्वारा शर्तों का पालन न किये जाने के कारण अथवा आबकारी आयुक्त/कलेक्टर के आदेशानुसार, किसी पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का निष्पादन, टेण्डर द्वारा फिर से किया जाना आदेशित किया गया हो और उसके लिए, यदि निष्पादन के दौरान ही पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि की घोषणा न कर दी गई हो तो इसकी सूचना पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन के दिन से कम से कम 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी तथा उसके लिए शर्त क्रमांक 14 का पालन किया जायेगा। पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की तिथि, संबंधित कलेक्टर द्वारा निर्धारित की जायेगी। इसी प्रकार यदि पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के किसी समूह का, किसी भी कारण से नियत तिथि को टेण्डर द्वारा निष्पादन सम्पन्न/अंतिम नहीं होता है तो, उसके टेण्डर द्वारा निष्पादन हेतु कलेक्टर आगामी तिथि नियत करेंगे। जिसकी घोषणा टेण्डर द्वारा निष्पादन स्थल पर ही की जा सकेगी।

#### 14. पुनः निष्पादन .—

14.1 पुनः निष्पादन के लिये वह व्यक्ति ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकता है, जो पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के वर्ष 2010-11 के लिये टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के समय उस लायसेंस/लायसेंसों के समूह, जिसका वह पुनः निष्पादन चाहता है, के टेण्डर द्वारा निराकरण की कार्यवाही में टेण्डर स्थल पर उपस्थित रहा हो तथा जो टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने के लिये अपात्र न रहा हो और कलेक्टर द्वारा जिस लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिए टेण्डर अन्तिम किया गया हो, ऐसे लायसेंस/लायसेंसों के समूह के लिये, उसके द्वारा भी टेण्डर दिया गया हो।

14.2 टेण्डर द्वारा अन्तिम किये गये पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के पुनः निष्पादन के लिये आवेदन, टेण्डर द्वारा निष्पादन तिथि के तीन दिन के अन्दर संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे। तीन दिन की गणना करने में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं सार्वजनिक अवकाश के दिन छोड़ दिये जायेंगे। आवेदक को पुनः निष्पादन आवेदन के साथ पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस / लायसेंसों के समूह, जिसका वह पुनः निष्पादन चाहता है, में प्राप्त उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि (आवेदक द्वारा जमा अर्नेस्टमनी की राशि को कम करके, बाकी राशि) नगद अथवा जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में, किसी भी राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा पर देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैंश आर्डर के रूप में जमा करनी होगी।

14.3 पुनः निष्पादन के आवेदन-पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि, आवेदक टेण्डर की प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम ऑफर से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक का ऑफर देना चाहता हो। पुनः निष्पादन की तिथि की विज्ञप्ति कलेक्टर द्वारा जारी की जायेगी। यदि कलेक्टर टेण्डर स्थल में पुनः निष्पादन की घोषणा करते हैं तो, कम से कम 05 दिन बाद की तिथि घोषित करेंगे।

14.4 पुनः निष्पादन होने की दशा में यदि टेण्डरदाता/आवेदनकर्ता पुनः निष्पादन में सम्मिलित होकर टेण्डर नहीं देता है तो, उसके द्वारा जमा की गयी उच्चतम ऑफर के 1/3 भाग के बराबर राशि राजसात हो जायेगी। उसे आवेदन-पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि वह इस शर्त को स्वीकार करता है कि, पुनः निष्पादन होने की दशा में वह प्रस्तावित ऑफर से कम का ऑफर टेण्डर में अंकित नहीं करेगा। यदि वह ऐसा ऑफर देने में असफल रहेगा तो, उसके द्वारा जमा की गई राशि राजसात हो जायेगी।

14.5 किसी पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के पुनः निष्पादन के प्रस्ताव का आवेदन-पत्र, केवल एक ही बार मान्य किया जायेगा।

14.6 किसी पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का पुनः निष्पादन होने पर भी, उसके प्रथम निष्पादन के समय जिस टेण्डरदाता द्वारा टेण्डर में उच्चतम ऑफर दिया गया हो, वह 15 दिन तक अपने उस ऑफर पर कायम रहने के लिये बाध्य होगा।

14.7 पुनः निष्पादन की इस कार्यवाही में प्रत्येक पात्र व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग ले सकेंगे।

15. खिसारे की वसूली तथा अर्नेस्टमनी का राजसात किया जाना.—उच्चतम टेण्डरदाता यदि टेण्डर स्वीकृत होने की पुष्टि तक टेण्डर में अंकित अपने ऑफर पर स्थिर नहीं रहेगा अथवा टेण्डर वापिस लेगा या किसी प्रकार से शर्तों का उल्लंघन करेगा तो, ऐसे

लायसेंस / लायसेंसों के समूह को पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने पर, जो खिसारा आयेगा अर्थात् शासन को जो हानि होगी, वह संबंधित उच्चतम टेण्डरदाता से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसी भी समय, टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों के उल्लंघन पर, उसके द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी अथवा यदि अर्नेस्टमनी का समायोजन शर्त क्रमांक 9 के अनुरूप, जमा किए जाने वाले अग्रिम धन / प्रतिभूति राशि के विरुद्ध किया गया है तो, इस प्रकार समायोजित अर्नेस्टमनी को भी, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, कलेक्टर द्वारा राजसात किया जा सकेगा। टेण्डरदाता द्वारा नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैंश आर्डर के रूप में जमा की गई, अन्य कोई राशि भी, खिसारे की वसूली के पेटे समायोजित की जाएगी।

16. अग्रिम धन/प्रतिभूति का राजसात करना.—कोई टेण्डरदाता यदि टेण्डर स्वीकृति की पुष्टि होने तक, अपने टेण्डर में अंकित आफर पर स्थिर न रहते हुए टेण्डर वापिस लेगा अथवा किसी प्रकार टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का वर्ष के दौरान उल्लंघन करेगा तो उसके द्वारा पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह हेतु जमा अग्रिम धन की 1/4 भाग राशि, प्रतिभूति की 1/12 भाग राशि तथा जमा की गई लायसेंस फीस, संबंधित कलेक्टर द्वारा सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् राजसात की जा सकेगी। इस संबंध में कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

17. लायसेंस की अवधि में टेण्डर द्वारा निष्पादन की शर्तों का प्रभावशील रहना.—पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूहों की टेण्डर द्वारा निष्पादन की ये सभी शर्तें वर्ष 2010-11 के लिए तथा वर्ष के दौरान होने वाले पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन की कार्यवाही के संबंध में प्रभावशील रहेगी।

18. लायसेंस/लायसेंसों का हस्तान्तरण.—वर्ष 2010-11 की अवधि के दौरान, यदि किसी पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर के विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का हस्तांतरण, किसी अन्य व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी के पक्ष में किया जाना आवश्यक पाया जायेगा तो, इस हेतु संबंधित लायसेंस/लायसेंसों के समूह की वर्ष 2010-11 की वार्षिक लायसेंस फीस के एक प्रतिशत के समतुल्य राशि, हस्तांतरण फीस के रूप में प्रभारित की जाकर ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान किये जाने पर ही लायसेंस/लायसेंसों का हस्तांतरण किया जायेगा। साथ ही लायसेंस की शेष अवधि की लायसेंस फीस आदि का भुगतान करने एवं लायसेंस की शर्तों का पालन करने के लिए, मूल लायसेंसी (अन्तरणकर्ता) तथा वह व्यक्ति जिसके नाम लायसेंस को, बीच में हस्तांतरण किया जायेगा (अन्तरणग्रहिता) दोनों ही बाध्य रहेंगे।

#### 19. अतिरिक्त गोदाम एवं पी. एस.-2-क की लायसेंस फीस.—

19.1 वर्ष 2010-11 के लिए पी. एस.-2 लायसेंस में, प्रत्येक अतिरिक्त गोदाम की लायसेंस फीस रुपये 25,000/- सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक् से देय होगी।

19.2 वर्ष 2010-11 के लिए पी. एस.-2-क लायसेंस की लायसेंस फीस, रुपये 10,000/- सम्पूर्ण वर्ष अथवा वर्ष की आंशिक अवधि के लिए एक समान पृथक् से देय होगी।

#### 20. पी.-एस-2 लायसेंसी द्वारा कृषकों से पॉपीस्ट्रा का क्रय.—

20.1 वर्ष 2010-11 में पी. एस.-2 लायसेंसी को, कृषकों द्वारा उत्पादित पॉपीस्ट्रा, कृषकों के कृषि क्षेत्र अथवा भण्डारण स्थल से न्यूनतम रुपये 100/- प्रति किलोग्राम की दर से क्रय करना होगा। कृषकों द्वारा उत्पादित पॉपीस्ट्रा के न्यूनतम क्रय मूल्य में, शासन द्वारा कभी भी, किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकेगा।

20.2 पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंस के स्वीकृत क्षेत्र में, अफीम के उत्पादन क्षेत्र के आधार पर पॉपीस्ट्रा उत्पादन का आंकलन कर, कृषकों के पास उपलब्ध पॉपीस्ट्रा की संपूर्ण मात्रा का 40 प्रतिशत माह अप्रैल, 2010 में, 30 प्रतिशत माह मई, 2010 में एवं शेष 30 प्रतिशत माह जून, 2010 में, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय हेतु स्वीकृत पी.एस.-2 लायसेंसी को अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। इस अनुपात से कम पॉपीस्ट्रा क्रय करने की स्थिति में, जिले के अन्य क्षेत्रों के पी.एस.-2 लायसेंसी को, पॉपीस्ट्रा क्रय करने की अनुमति दी जा सकेगी। 01 जुलाई, 2010 के बाद 30 सितम्बर, 2010 तक जिले के पी.एस.-2 लायसेंसी, जिले के अंदर किसी भी कृषक से पॉपीस्ट्रा क्रय कर सकेंगे।

20.3 नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 के अधीन पॉपीस्ट्रा के थोक एवं/अथवा फुटकर

विक्रय के स्वीकृत लायसेंसी के विरुद्ध लायसेंस, परमिट या पास की शर्त/शर्तों के उल्लंघन पर प्रथमतः लायसेंस की शर्तों एवं नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज (मध्यप्रदेश) नियम, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी. लायसेंसी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही, संबंधित जिले के कलेक्टर की स्वीकृति पर ही की जा सकेगी.

## 21. पॉपीस्ट्रा पर देय ड्यूटी व परिवहन फीस.—

### 21.1 वर्ष 2010-11 में पॉपीस्ट्रा पर निर्धारित ड्यूटी/फीस निम्नानुसार रहेगी :—

(1) ड्यूटी :— पी.एस-2 से पी.एस-3 में परिवहन के समय	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
(2) परिवहन फीस :— पी.एस-2 उत्पादक जिले से अन्य किसी भी पी.एस-2 या पी.एस-3 लायसेंसी को परिवहन के समय.	रुपये 5/- प्रति किलोग्राम
(3) निर्यात फीस :— अन्तर्राज्यीय निर्यात हेतु	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम
(4) आयात फीस :— अन्तर्राज्यीय आयात हेतु	रुपये 10/- प्रति किलोग्राम

21.2 वर्ष 2010-11 में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.एस.-2 लायसेंसी के अनुज्ञप्त परिसर में, उसके संलग्न अतिरिक्त गोदाम/गोदामों से पॉपीस्ट्रा का परिवहन करने पर परिवहन किये जाने वाली मात्रा को विचार में लाये बिना, परिवहन फीस, रुपये 100/- प्रति परिवहन पास अग्रिम जमा करायी जायेगी.

21.3 वर्ष 2010-11 में किसानों से पॉपीस्ट्रा क्रय कर, परिवहन करने के लिये, पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी.-एस-2 लायसेंसी द्वारा परिवहन किये जाने वाली, पॉपीस्ट्रा की मात्रा को विचार में लाये बिना प्रत्येक परिवहन पास (पी-एस.-5) के लिये, रुपये 100/- परिवहन फीस, अग्रिम जमा करायी जायेगी.

22. शर्त क्रमांक 12 एवं 14 के अधीन पुनः निष्पादन की तिथि की घोषणा, यदि टेण्डर के दिन टेण्डर स्थल पर ही, उस दिन की कार्यवाही पूर्ण होने के पूर्व नहीं की जाती है तो, ऐसे पुनः निष्पादन की सूचना, जिसकी अवधि कम से कम पांच दिन की होगी, समाचार-पत्र में प्रकाशित कराई जायेगी और संबंधित जिला कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सूचना का प्रदर्शन भी किया जाएगा.

23. आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश किसी भी पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डर को अन्तिम किये जाने के उपरान्त भी, टेण्डर द्वारा निष्पादन संबंधी शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर अथवा/तथा राजस्व के हित में विहित शर्तों के अधधीन उन्हें पुनः टेण्डर द्वारा निष्पादन करने के आदेश, टेण्डर द्वारा निष्पादन अंतिम होने के 07 दिवस की अवधि में अथवा जैसा उचित समझें, दे सकेंगे. इसके लिये कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा.

24. अफीम उत्पादक जिलों के अतिरिक्त शेष गैर अफीम उत्पादक जिलों के लिए पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के (पी. एस.-3) लायसेंसों की व्यवस्था.—मध्यप्रदेश राज्य के अफीम उत्पादक जिला मन्दसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन एवं राजगढ़ (ब्यावरा) को छोड़कर शेष गैर अफीम उत्पादक जिलों में पॉपीस्ट्रा के थोक विक्रय के पी. एस.-2 लायसेंस नहीं रहेंगे. इन जिलों में पी.एस.-7 धारक व्यसनियों को, नियमानुसार एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पॉपीस्ट्रा फुटकर विक्रय करने के लिये, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.-3 लायसेंस, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस पर, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी.

25. अन्य व्यवस्थाएँ.—पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह के टेण्डर द्वारा निष्पादन एवं निश्चित वार्षिक लायसेंस फीस पर, पॉपीस्ट्रा के फुटकर विक्रय के पी.एस.-3 लायसेंस की स्वीकृति एवं ऐसे लायसेंसों के संचालन के संबंध में, जिन व्यवस्थाओं के संबंध में उल्लेख अथवा/अन्यथा पृथक् से निर्देशित नहीं किया गया है, वे सभी व्यवस्थाएं वर्ष 2009-10 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार पूर्ववत/यथावत लागू रहेंगी.

26. पॉपीस्ट्रा के थोक एवं फुटकर विक्रय के लायसेंस/लायसेंसों के समूह का निष्पादन, नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम, 1985 जैसा कि अब तक संशोधित हो चुका है और होगा एवं उसके अंतर्गत बनाए गये नियमों और प्रतिबंधों के अंतर्गत एवं समय-समय पर संशोधित किए गए नियमों और समय-समय पर राज्य शासन, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अधधीन रहेगा.

27. निष्पादन का कार्यक्रम.—

27.1 टेण्डर प्रपत्र विक्रय करने की अवधि व समय— सहायक आबकारी आयुक्त, जिला मन्दासौर एवं जिला आबकारी अधिकारी, जिला नीमच, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन एवं राजगढ़ (ब्यावरा) के कार्यालय में —

दिनांक 22 फरवरी 2010 से दिनांक 05 मार्च 2010 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 06 मार्च 2010 को, दिन 12.00 बजे तक.

27.2 टेण्डर प्रपत्र जमा करने की तिथि व समय—

आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश के ग्वालियर स्थित कार्यालय में दिनांक 22 फरवरी 2010 से दिनांक 04 मार्च 2010 तक कार्यालयीन समय में. उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, उज्जैन के उज्जैन स्थित कार्यालय में—

दिनांक 22 फरवरी 2010 से दिनांक 05 मार्च 2010 तक कार्यालयीन समय में.

संबंधित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में—

दिनांक 22 फरवरी 2010 से दिनांक 05 मार्च 2010 तक अवकाश के दिनों सहित किसी भी दिन, कार्यालयीन समय में तथा दिनांक 06 मार्च 2010 को दिन 14.30 बजे तक.

27.3 टेण्डर प्रपत्र खोलकर निष्पादन की कार्यवाही की तिथि व समय—

दिनांक 06 मार्च 2010 को दिन 15.00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक.

परिशिष्ट क्रमांक-एक

क्रमांक (1)	नाम जिला (2)	निष्पादन स्थल (3)
1	जिला मंदसौर	जिला आबकारी कार्यालय, मंदसौर
2	जिला नीमच	कलेक्टोरेट, नीमच
3	जिला रतलाम	जिला आबकारी कार्यालय, रतलाम
4	जिला शाजापुर	कलेक्टोरेट, शाजापुर
5	जिला उज्जैन	सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय, उज्जैन
6	जिला राजगढ़ (ब्यावरा)	नवीन कलेक्टोरेट, राजगढ़ (ब्यावरा).

अरूण पाण्डेय, आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश.